राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

दिनांक 19.4.2010 को माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिशिष्ट–1 पर अंकित अनुसार सदस्यगण एवं विशेष आमन्त्रित जन प्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निम्नानुसार चर्चा उपरान्त निर्णय लिये गये:–

सर्वप्रथम राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा विभिन्न अकाल राहत गतिविधियों का अब तक की स्थिति अनुसार संक्षेप में ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि आदान अनुदान, पेयजल व्यवस्था, असहाय सहायता, नगर पालिका क्षेत्रों में राहत कार्य, चारा डिपो, पशु शिविर, गौशाला, पशु औषधि आदि गतिविधियों के तहत अब तक आवंटित धनराशि, उसके उपयोग, गतिविधियों की भौतिक प्रगति तथा वस्तुस्थिति से सभी सदस्यों को अवगत कराया। राहत गतिविधियों के सघन निरीक्षण/पर्यवेक्षण की व्यवस्था से भी अवगत कराया और गत दिनों की गई व आगामी दिनों में की जाने वाले वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी अवगत कराया गया। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि राहत गतिविधियों के संचालन हेतु आपदा राहत कोष में वर्तमान में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। तत्पश्चात् एजेण्डा बिन्दुवार चर्चा शुरू की गई :–

1. चर्चा उपरान्त राज्य के 27 अभावग्रस्त जिलों के सीमान्त लघु कृषकों को आदेश दिनांक 17.2.2010 अनुसार जो कृषि आदान अनुदान वितरण का निर्णय लिया गया था उसका प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

2. चारा डिपो को अनुज्ञेय 50,000 रू. के रिवाल्विंग फण्ड (ब्याज मुक्त ऋण) को बढाकर 1,00,000 रू. करने के निर्णय दिनांक 10.4.2010 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

3. चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे की परिवहन अनुदान दरों में आदेश दिनांक 16.3.2010 से जो 100 प्रतिशत वृद्धि लागू की गई, उसका प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

4. राज्य के 27 अभावग्रस्त जिलों की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं में दिनांक 1.4.2010 से आपदा राहत कोष के तहत प्रारम्भ कराये गये राहत कार्यों का प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन किया गया । साथ ही, इस प्रयोजनार्थ आवश्यकतानुसार श्रमिक सीमा निर्धारण हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को अधिकृत किया गया।

5. पशु शिविरों एवं गौशालाओं में वर्तमान में लागू पशु आहार की बाध्यता एवं पशु आहार न देने पर 6 रू. एवं 3 रू. की कटौती करने की वर्तमान में जो व्यवस्था है, उसे चारे की बढ़ती हुई कीमत को ध्यान में रखते हुए समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. माननीय मुख्यमन्त्री जी ने प्रदेश में बढती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए नरेगा श्रमिकों के वर्तमान मजदूरी के समय पर संवेदनशीलता से विचार–विमर्श करते हुए परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, जिससे कि मजदूरों को गर्मी से राहत मिल सके। इस निर्णय के तहत मेट

द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो का संचालन इस प्रकार से किया जाए कि श्रमिक समूह प्रातः 6.00 बजें से कार्य प्रारंभ कर 1.00 बजें तक अपना कार्य पूर्ण कर ले। इसके पश्चात भी यदि कोई श्रमिक / श्रमिक समूह अपने निर्धारित टास्क को पूर्ण करना चाहता है तो वह 3.00 बजें तक रूक कर उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। यह निर्णय अभावग्रस्त जिलों की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं में भी लागू किया जायेगा।

7. कृषि आदान अनुदान मद में उपलब्ध अवशेष राशि 283.00 करोड के वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिन 12 जिलों में लगातार दूसरे वर्ष अकाल पड़ा है, उनके ऐसे काश्तकारों को, जिनकी भूमि धारिता 2 से 5 हैक्टर तक की है, उन्हें अधिकतम 2 हैक्टर की सीमा तक 2000 रू प्रति हैक्टर की दर से कृषि आदान अनुदान का वितरण सहकारी बैंक के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करवा दिए जाएँगे।

3. बैठक में इस बिन्दु पर भी चर्चा की गई कि जिन किसानों का कृषि आदान अनुदान 250 से 500 रू के बीच बनता है तथा जिनका खाता खोला जाना किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो पा रहा है/व्यावहारिक नहीं माना जा रहा है, उन्हें नकद भुगतान करवा दिया जाय। विचार–विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह राय बनी कि बजट घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए बैंक खातों के माध्यम से ही राशि हस्तांतरित किया जाना उचित होगा जिससे कि बाद में भी इसका उपयोग संभव हो सके।

). इसके उपरान्त पेयजल समस्या को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विभाग के माननीय मन्त्री एवं प्रमुख शासन सचिव ने, की जा रही व्यवस्था और उसमें आ रही समस्याओं के बारे में, विस्तार से अवगत कराया। अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने अनुभवों एवं सुझावों से अवगत कराया।

0. अध्यक्ष महोदय ने प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को अकाल राहत कार्यस्थल पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के अलावा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

1. अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मुख्य सचिव अपनी अध्यक्षता में, पेयजल व्यवस्था को लेकर एक अन्तर्विभागीय कार्यकारी समूह का गठन करें जिसमें कृषि, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, राजस्व आदि जिस जिस विभाग के अधिकारियों की आवश्यकता हो, उन्हें सदस्य बनाकर आदेश जारी करें। यह कार्यकारी समूह 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा सकें एवं पेयजल आपूर्ति व वितरण व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

उप शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ 1(1)(4)आ.प्र.एवं सआ/सामान्य–1/2007/ 11055-77

जयपुर,दिनांकः 6.5.10

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. निजी सचिव, माननीय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री
3. निजी सचिव, माननीय जल संसाधन मंत्री
4. निजी सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
5. निजी सचिव, कृषि एवं पशुपालन मंत्री
6. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
7. निजी सचिव, माननीय गृह, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री
8. निजी सचिव, राजस्व मंत्री
9. निजी सचिव, सहकारिता मंत्री
10. उप सचिव, मुख्य सचिव
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव(विकास/कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
13. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
14. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
15. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
17. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
18. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग
19. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
20. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग
21. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग
22. निजी सचिव,आयुक्त, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना
23. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एव सहायता विभाग।

शासन उप सचिव